आयोजकों का आरोप है कि पुलिस ने साथियों को हिरासत में ले लिया।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

याचिका सं.44/टीएल/2023 दिनांक: 23.03.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

डब्ल्यूआरएसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, सी–105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली 110021 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर "दक्षिणी प्रदेश में उच्च आरई परिदृश्य के दौरान अधिशेष विद्युत के निर्यात के लिए पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश में आईएसटीएस नेटवर्क विस्तार योजना" के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	दोनों सिरों पर प्रत्येक सीकेटी पर 1x330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर (एसएलआर) के साथ नरेन्द्र न्यू (जीआईएस)–पुणे (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन • 765 केवी लाइन बे – 2 (जीआईएस) (नरेन्द्र न्यू पर) • 765 केवी लाइन बे – 2 (जीआईएस) (पुणे पर) • 765 केवी, 330 एमवीएआर एसएलआर – पुणे (जीआईएस) पर 2 नंबर (1 स्विचेबल स्पेयर यूनिट सहित 7 x 110 एमवीएआर) • 765 केवी, 330 एमवीएआर एसएलआर – नरेन्द्र न्यू (जीआईएस) पर 2 नंबर (6 x 110 एमवीएआर)	18 मास
2.	4x1500 एमवीए ट्रांसफॉर्मर और 2x330 एमवीएआर बस रिएक्टर के साथ 765 केवी स्तर की इसकी रेटेड वोल्टता तक नरेन्द्र (न्यू)(जीआईएस) का उन्नयन • 765/400 केवी, 1500 एमवीए – 4 नंबर (1 स्पेयर यूनिट के साथ 13 x 500 एमवीए) • 765 केवी आईसीटी बे – 4 नंबर (जीआईएस) • 400 केवी आईसीटी बे – 2 नंबर (जीआईएस)* • 765 केवी, 330 एमवीएआर बस रिएक्टर – 2 नंबर (दोनों बस/लाइन रिएक्टरों के लिए उपयोग किए जाने हेतु 1 स्विचेबल स्पेयर यूनिट सहित 7 x 110 एमवीएआर) • 765 केवी बस रिएक्टर बे – 2 नंबर (जीआईएस)	

*765/400 केवी आईसीटी के लिए 400 केवी आईसीटी बे (जीआईएस) के अपेक्षित 04 नंबर में से, 765/400 केवी आईसीटी के लिए 400 केवी आईसटी बे (जीआईएस) के 02 नंबर "कोप्पल विंड एनर्जी जोन (कर्नाटक)(2500 मेगावाट) में आरई स्रोतों से विद्युत की निकासी" योजना के अधीन टीबीसीबी के माध्यम से कार्यान्वयन के अधीन है।

नोट:

1) पावरग्रिड, नरेन्द्र (न्यू)(जीआईएस) को 765 केवी स्तर तक उसकी रेटेड वोल्टता के उन्नयन के लिए स्थान प्रदान करेगा।

2) पावरग्रिड, नरेन्द्र (न्यू)(जीआईएस) – पुणे (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन के समापन हेतु पुणे के सिरे पर एसएलआर के साथ 765 केवी जीआईएस लाइन बे के 2 नंबर हेतु स्थान प्रदान करेगा।

3) पावरग्रिड, नरेन्द्र (न्यू)(जीआईएस) पर 765/400 केवी आईसीटी के लिए 2 नंबर 400 केवी आईसटी बे (जीआईएस) के कार्यान्वयन हेतु स्थान प्रदान करेगा। 765/400 केवी आईसीटी के लिए 400 केवी आईसीटी बे (जीआईएस) के अपेक्षित 04 नंबर में से, 765/400 केवी आईसीटी के लिए 400 केवी आईसटी बे (जीआईएस) के 02 नंबर "कोप्पल विंड एनर्जी जोन (कर्नाटक)(2500 मेगावाट) में आरई स्रोतों से विद्युत की निकासी" योजना के अधीन टीबीसीबी के माध्यम से कार्यान्वयन के अधीन है।

4) नरेन्द्र (न्यू)(जीआईएस) – कोल्हापुर 765 केवी डी/सी लाइन को 400 केवी स्तर पर चार्ज रखा जाएगा।

5) वन–एंड–हाफ ब्रेकर स्कीम में डायमीटर (जीआईएस) के समापन हेतु अपेक्षित कोई बे भी टीएसपी द्वारा निष्पादित की जाएगी।"

2. आवेदक का चयन, अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवेलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 2134.77 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित सेवा प्रदायक के रूप में किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 8.2.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 44/टीएल/2023 में दिनांक 22.3.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।

5. डब्ल्यूआरएसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.adanitransmission.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 11.4.2023 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा दिनांक 13.4.2023 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव